

अलय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई जिला भरतपुर (राज०)

(पीठासीन अधिकारी श्री मुहम्मद जुनैद आइ०ए०एस०)

करण स.:-140/2021

केस मुकदमा :-' प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा०दी०

निर्णय दिनांक :-29.11.2021

निर्णय

मुकदमा उनवान :-आदित्य बनाम उदयसिंह बगै०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जाबा दीवानी के तहत

प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा० दी० के तहत के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि जो संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

1. यह कि उक्त उनवानी वाद, वादीगण ने प्रस्तुत किया है जिसमें वादीगण ने मिन प्रार्थी के ऋणी श्री उदय सिंह के विरुद्ध अनुतोष चाहते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा माननीय ने वकील वादीगण को एक पक्षीय आधार पर सुनते हुए एक पक्षीय अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर दिनांक 11.10.2021 को प्रदान की थी।
2. यह कि उक्त प्रकरण में बैंक विपक्षी/प्रतिवादी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों तहत धारा 13(2) सरफेसाई एक्ट का नोटिस पूर्व में ही प्रार्थी फर्म व गारन्टर्स को दिया जा चुका है एवम् उसके पश्चात धारा 13(4) सिक्वोटोटाईजेशन एक्ट के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। तथा ऐसी स्थिति में मिन प्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा/आदेशात्मक निषेधाज्ञा विधि अनुसार जारी नहीं की जा सकती है।
3. यह कि प्रार्थी बैंक को इस आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 18.10.2021 को माननीय महोदय के समक्ष आपत्ति एवं प्रतिवेदन विधिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया जिससे सहमत होते हुए आप माननीय महोदय ने अपने स्थगन आदेश दिनांक 11.10.2021 को खारिज कर दिया।
4. यह है कि वादीगण द्वारा आपके 18.10.2021 के आदेश के विरुद्ध माननीय आर.ए.ए. साहब के यहाँ अपील पारित की गई। जिसमें प्रतिवादी सं. 2 के रूप में बैंक को पक्षकार बनाने के बाबजूद बैंक को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये व बिना इन आधारों का अवलोकन किये जिन आधारों पर माननीय महोदय ने दिनांक 18.10.2021 को अपना पूर्व आदेश दिनांक 11.10.

2021 निरस्त किया था। माननीय आर.ए.ए. साहब ने यह आदेश दिया गया, अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट आंशिक रवीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2021 निरस्त किये जाते हैं। तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी खसरा न. 1023 /0.22 है 0 वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.11.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवे।

अतः उक्त प्रकरण आपके समक्ष पुनः सुनवाई हेतु लम्बित है।

5. यह है कि जिस सम्पत्ति के सम्बन्ध में वादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के यहाँ प्रस्तुत किया है। वह सम्पत्ति मिन प्रार्थी के पास बँधक है। तथा मिन प्रार्थी बैंक ने सम्पत्तियों के बाबत **SARFAESI ACT** में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी तथा उक्त अधिनियम की धारा 34 के अनुसार वाद कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति सिविल कोर्ट में रिलिफ प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष जा सकता है।
6. यह कि धारा 34 **SARFAESI ACT** के प्रावधानों के अनुसार –
धारा 34 सिविल न्यायालय को अधिकारिता न हो/ किसी भी सिविल न्यायालय को किसी मामले में सम्बन्ध में वाद या कार्यवाही पर कार्य करने की या कार्यवाही पर कार्य करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसपर ऋण वसूली अधिकरण या अपीलीय अधिकरण को निधारण करने के लिये इस अधिनियम के द्वारा या के अन्तर्गत सशक्त और कोई भी व्यादेश इस अधिनियम के द्वारा या के अन्तर्गत या बैंक और वित्तीय संस्था के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 के अन्तर्गत प्रदान किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
अतः वादी/प्रार्थी के यहां कोई भी दावा प्रस्तुत कर रिलीफ प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि श्रीमान् को उक्त वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं है।
7. यह की धारा 35 **SARFAESI ACT** के प्रावधानों के अनुसार:–
धारा 35– इस अधिनियम के प्रावधानों का अन्य विधियों से सर्वोपरि होना–
इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में समाविष्ट उसके साथ कुछ भी असंगत होने के बाबजूद या किसी विधि के प्रभाव द्वारा प्रभाव रखने वाला कोई लिखित प्रभाव रखेगा। उक्त विधि सर्वोपरि विधि है। अतः इस आधार पर श्रीमान् जी उक्त प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।
8. उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी बैंक द्वारा सरफ़ेसी अधिनियम के समस्त प्रावधानों की पालना करते हुए नियमानुसार पब्लिक मनी की रिकवरी हेतु विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। परन्तु ऋण खाता मैसर्स आर.एस. ट्रेडिंग कम्पनी में गारन्टर के परिवारजनों द्वारा आपसी मिलीभगत व सांठ-गांठ करते हुए आपके समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया है जिसके तहत माननीय महोदय को झूठे तथ्यों को अवगत करवाकर आपको अंधेरे में रखते हुए आपके क्षेत्राधिकार में वर्णित शक्तियों से परे यथास्थिति बनाये रखने का आदेश अविधिक रूप से पारित करवा लिया है तथा बैंक की विधिसम्मत कार्यवाही में येन-केन-प्रकारणें बाधा पहुंचाने में आमादा है ताकि

7

नीलामी के संग्रहित बोलीदाता भ्रमित होकर नीलामी में भाग नहीं ले पायें। इस प्रकरण में
वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है:-

1. यह है कि प्रश्नगत सम्पत्ति में श्री लाखन सिंह पुत्र श्री सूकाराम जाति जाट निवासी ग्राम
लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर राज. आराजी खसरा नम्बर-1023 रकवा 0.22 है0
के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे। श्री लाखन सिंह ने उद्योग हेतु भूमि रूपान्तरण
अधिकारी, नदबई में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। कार्यालय भूमि रूपान्तरण अधिकारी, नदबई
द्वारा सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक 285 दिनांक 29.05.1998 से खातेदारी अभिधृति में धारित
कृषि भूमि नियम 2007 के नियम 8 (1) (3) के अधीन अकृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् उद्योग हेतु
(मैसर्स किसान फुड प्रोसेसिंग) हेतु समपरिवर्तन किया गया। उक्त सम्परिवर्तन जायदाद
किसी न्यायालय में विवाद वस्तु नहीं थी और ना ही उक्त सम्परिवर्तित जायदाद के विरुद्ध
न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित की गई थी। समपरिवर्तित की गई जायदाद का कुल
क्षेत्रफल 985 वर्गमीटर है जिसके हददवा निम्नलिखित प्रकार से है-

वतरफ उत्तर: 74 फुट 6 इंच इस तरफ खेत श्री रामदयाल है।

वतरफ दक्षिण: 25 फुट बाद गोसा 87 फुट 6 इंच इधर सड़क नदबई डहरा है।

वतरफ पूर्व: 25 फुट हल्का गोसा 27 फुट 6 इंच तरफ खेत किशन लाल है।

वतरफ पश्चिम:- 117 फुट इस तरफ जमीन देवेन्द्र कुमार वैश्य है।

कुल क्षेत्रफल भूमि 985 वर्ग मीटर

श्री लाखन सिंह ने उक्त जायदाद को श्री महेश चन्द पुत्र श्री मनोहर लाल एवं श्री
ओमप्रकाश पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद को विक्रय कर दिया तथा विक्रयनामा दिनांक 17.11.2004 को
निष्पादित किया गया जो क्रम संख्या 2004005823 पर जिल्द संख्या 269 व पृष्ठ संख्या 143 पर
उपपंजीयक कार्यालय, नदबई जिला भरतपुर में पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार से श्री महेश चन्द पुत्र
श्री मनोहर लाल एवं श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद उक्त जायदाद के स्वामी एवं अधिपत्यधारी
हो गये।

श्री महेश चन्द पुत्र श्री मनोहर लाल एवं श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद ने उक्त
जायदाद को श्री परसादी लाल जाट को विक्रय कर दिया तथा विक्रय दिनांक 04.07.2007 को
निष्पादित किया गया, जो क्रम संख्या 2007002155 पर जिल्द संख्या 330 व पृष्ठ संख्या 93 पर दिनांक
04.07.2007 को उप पंजीयन कार्यालय नदबई में पंजीबद्ध किया गया इस प्रकार से उदयसिंह जाट
पुत्र परसादी लाल जाट उक्त जायदाद में स्वामी एवं अधिपत्यधारी हो गये। अतः प्रश्नगत सम्पत्ति हिन्दु
परिवार की पैत्रिक आराजी ना होकर उदयसिंह पुत्र परसादी लाल जाट की निजी सम्पत्ति है। महेश
चन्द पुत्र मनोहर लाल एवं ओमप्रकाश पुत्र रघुनाथ परसाद द्वारा उदयसिंह जाट पुत्र परसादी जाट के
पक्ष में निष्पादित किया गया। विक्रयनामा संलग्न है।

अतः स्पष्ट है उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति वर्ष 1998 से ही अकृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् उद्योग
हेतु संपरिवर्तित हो गई थी अतः इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत सम्पत्ति कृषि प्रयोजनार्थ नहीं है। अतः
आपके क्षेत्राधिकार से परे है।

8

सम्पत्ति के मालिक तथा बैंक के मध्य निष्पादित हुये करार के अन्तर्गत प्रश्नगत सम्पत्ति का बैंक में क किया जाना - श्री उदयसिंह जाट पुत्र परसादी लाल जाट के परिवार जनों द्वारा आपको यह य गलत रूप से बताया गया है कि उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति हिन्दू संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है। बकि वास्तविकता यह है कि सम्पत्ति श्री उदयसिंह जाट की निजी सम्पत्ति है। और इस सम्पत्ति का थानान्तरण बैंक के पक्ष में 1 Declaration in the matter of extension mortgage by deposit of Title Deeds 2 Letter of Confirmation of Equitable Mortgage 3 Letter of undertaking दिनांक 07.02.2014 को ही किया जा चुका है। और उदयसिंह जाट पुत्र परसादी लाल जाट द्वारा सम्पत्ति साम्यक बंधक बैंक के पक्ष में सृजित कर देने के कारण सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से हस्तांतरण करने के योग्य नहीं है। साथ ही 13(2) के नोटिस के पश्चात् बैंक उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार ऋणी बैंक की पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना प्रतिभूतित किसी भी आस्थी को विक्री, लीज व अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरित करने से वंचित है। व इसका व्यतिक्रम करने पर ऋणियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। अतः ऐसा प्रत्येक स्थान्तरण शून्य है। तथा सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) की दिनांक से उक्त सम्पत्ति 13(4) के प्रावधानों के अनुसार बैंक में निहित हो चुकी है। इसप्रकार उदयसिंह जाट के पास किसी भी तरह से उक्त सम्पत्ति को स्थान्तरित करने के अधिकार नहीं है। तथा बैंक द्वारा न्यायालय जिला न्यायालय एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के द्वारा पारित आदेश की पालना में माननीय पुलिस अधिक्षक के द्वारा नियुक्त पुलिस अधिकारियों के द्वारा वास्तविक कब्जा प्राप्त कर बैंक को सुपुर्द किया जा चुका है। तथा बैंक नियमानुसार सम्पत्ति नीलाम कर रकम वसूल करने हेतु पूरी तरह योग्य है।

(3) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत धारा 13(2) के अन्तर्गत कार्यवाही:- ऋणी श्री राजेश पाल सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह द्वारा जरिये फर्म मैसर्स आर. एस. ट्रेनिंग कम्पनी पता प्लॉट नं. 314, सी डी ब्लॉक कल्याणपुरा न्यू सांगानेर रोड, जयपुर द्वारा बैंक आफ बड़ोदा की शाखा एस एफ एस मानसरोवर साउथ एण्ड स्व्वायर मॉल रीको, कांटा के पास, जयपुर से वर्ष 2014 में जरिये ऋण स्वीकृति पत्र... ऋण खाता 39770400000028 में रुपये 8500000 (पिच्चासी लाख रुपये मात्र) बड़ोदा टेण्डर्स लॉन बाबत् ऋण सुविधा प्राप्त की गई थी। उक्त ऋण सुविधा बाबत् उदयसिंह पुत्र परसादीलाल जाट गारंटी प्रदान की गई थी। तथा ऋणी एवं गारंटर के द्वारा ऋण से संबंधित दस्तावेजातों को पढकर, सुनकर, समझकर अपने अपने विवेक का उपयोग करते हुए हस्ताक्षर किया गया था तथा सम्पत्तियों के बंधक विलेख एवं दृष्टि बंधक विलेख का निष्पादन किया गया था। उक्त ऋण सुविधा के बदले में गारंटर श्री उदय सिंह पुत्र परसादी लाल जाट द्वारा उनके स्वयं के निजी एवं स्वामित्व की ग्राम बैलारा ग्राम पंचायत खेडीदेवीसिंह तहसील नदवई जिला भरतपुर स्थित फ़ैक्ट्री लैण्ड, बिल्डिंग (औद्योगिक प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तित सम्पत्ति को बंधक किया गया था तथा उक्त परिसर पर प्लॉट और मशीनरी एवं अन्य स्टॉक को दृष्टि बंधक किया गया था। सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गारंटर को ऋणी की परिभाषा में सम्मिलित माना गया है। यह है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत बैंक ऑफ बड़ोदा के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त ऋण खाता मैसर्स आर. एस. ट्रेडिंग कम्पनी ने ऋणी / गारंटर को डिमांड नोटिस 02.07.2019 को जारी किये गये जिसमें ऋणी / गारंटर श्री राजेश पाल सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह पुत्र परसादी लाल जाट गारंटर को नोटिस में

खत राशि / बडौदा टैण्डर्स लोन खाता न 39770400000028 में रुपये 84,97,768.50 दिनांक 2019 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च का भुगतान, इस स की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर, करने के लिये कहा गया था।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही :- ऋणियों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर, प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणियों पर आम लोगों को नोटिस दिया गया कि अधोहरस्ताक्षरी ने उक्त सम्पत्ति का कब्जा वर्ष 2019 माह नवम्बर की तारीख 07 से प्राप्त कर लिया।

इस नोटिस में ऋणियों को विशेष रूप से एवं आम जनता को सावधान किया गया कि इस सम्पत्ति का कब्जा वर्ष 2019 माह नवम्बर की तारीख 07 से प्राप्त कर लिया। इस नोटिस में ऋणियों को विशेष रूप से एवं आम जनता को सावधान किया गया कि इस सम्पत्ति बाबत कोई संव्यवहार नहीं करे और इस सम्पत्ति के बाबत किया गया कोई भी संव्यवहार रु. 84977868.50 दिनांक 28.02.2019 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च के बैंक आफ बडौदा के प्रभार का अध्यक्षीन होगा।

अतः बैंक ऑफ सरफैसी अधिनियम के अन्तर्गत ऋणियों को विभिन्न धाराओं में नोटिस जारी किये गये तथा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त किया गया।

(5) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूमि हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत माननीय न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में पारित आदेश :-

माननीय न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के द्वारा बैंक के ऋण खाता मैसर्स आर. एस. ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. श्री राजेश पाल सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह में बैंक में बंधक सम्पत्ति श्री उदयसिंह पुत्र श्री प्रसादी लाल जाट की ग्राम बैलारा, ग्राम पंचायत खेडी देवीसिंह, तहसील नदबई जिला भरतपुर स्थित फैंक्ट्री लैण्ड बिल्डिंग (औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित सम्पत्ति) (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 995 वर्गमीटर) तथा हाइपोथिकेटेड प्लान्ट एण्ड मशीनरी एवं अन्य स्टॉक इत्यादि का कब्जा जरिये पुलिस बैंक को सुपुर्द करवाने के आदेश अन्तर्गत प्रा. पत्र/44/2019 दिनांकित 17.12.2019 प्रदान किये जिसमें निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया था कि अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी द्वारा ग्राम बैलारा ग्राम पंचायत खेडीदेवीसिंह तहसील नदबई स्थित अपनी अचल सम्पत्ति इण्डस्ट्रीयल भूमि, 985 वर्ग मीटर, (जिसके उत्तर में कृषि भूमि श्री रामदयाल, दक्षिण में रोड, पश्चिम में-कृषि भूमि श्री किशनलाल एवं पूर्व में - भूमि श्री देवेन्द्र वैश्य है) एवं उसमें स्थापित प्लान्ट मशीनरी को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किये थे उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है इस निर्णय की प्रति जिला पुलिस

8

अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(6) प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, भरतपुर द्वारा पारित आदेश

उक्त आदेश की पालना में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, भरतपुर के पत्र क्रमांक 4158-61 दिनांकित 27.07.2021 के अनुसार उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा बैंक के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा लेने व इससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज प्रार्थी बैंक को संभालने सुपुर्द हेतु धानाधिकारी पुलिस थाना नदबई व सचिव निरीक्षक पुलिस लाइन भरतपुर की आंकलन रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30.07.2021 को पुलिस इमदाद पुलिस लाइन भरतपुर से उपलब्ध करवाने हेतु आदेशित किया गया था तथा इस आदेश की पालना में नियुक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा बंधक सम्पत्ति श्री उदय सिंह पुत्र श्री प्रसादी लाल जाट की ग्राम बैलारा ग्राम पंचायत खेडी देवीसिंह तहसील नदबई जिला भरतपुर स्थित फेक्ट्री लैण्ड बिल्डिंग (औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित सम्पत्ति)(बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 985 वर्गमीटर) तथा हाइपोथिकेटेड प्लान्ट एण्ड मशीनरी एवं अन्य स्टॉक इत्यादि का कब्जा बैंक को सुपुर्द किया जा चुका है एवं वर्तमान में उपरोक्त सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही बाबत माननीय न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के द्वारा पारित आदेश पर किसी भी सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। उक्त बंधक सम्पत्ति की दिनांक 22.10.2021 को नीलामी प्रस्तावित थी तथा कई बोलीदाता इस सम्पत्ति को खरीदने हेतु इच्छुक थे परन्तु आपके स्थगन आदेश का वादीगण एवं बैंक के ऋणी द्वारा प्रचार करने के कारण क्रेता भ्रमित होकर उक्त सम्पत्ति को क्रय करने हेतु सामने नहीं आये और क्षेत्राधिकारिता से परे स्थगन आदेश पारित होने के कारण सम्पत्ति की नीलामी नहीं हो पाई।

(7) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत धारा 34 का प्रभाव :-

सरफैसी अधिनियम में निम्न प्रावधान है :-

34. किसी भी सिविल कोर्ट के पास किसी भी मामले के सम्बन्ध किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा जिसे निर्धारण करने के लिए ऋण वसूली प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण को सरफैसी अधिनियम के द्वारा या इसके तहत अधिकार दिया गया है। और किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

अतः उपरोक्त आधारों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न न्याय निर्णयों एवं सरफैसी अधिनियम की धारा 34 सपठित धारा 17 के आधार पर पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 11.10.2021 क्रम सं. 146/2021 को क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त करने की कृपा करे ताकि बैंक की बंधक सम्पत्ति की नीलामी कार्यवाही सफलता पूर्वक एवं सुचारु रूप से सम्पन्न एवं सुनिश्चित हो सके।

इस संबंध प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के साथ निम्नांकित दस्तावेजात पेश किये गये।

1. श्री उदयसिंह जाट पुत्र परसादी लाल जाट के पक्ष में निष्पादित किया गया विक्रय नामा तथा संपरिवर्तित आदेश 285 दिनांक 29.05.1998 की फोटो प्रति ।
2. श्री उदयसिंह जाट द्वारा बैंक में प्रस्तुत किया गया शपथ पत्र में घोषणा पत्र की प्रति तथा सम्पत्ति को बैंक में बंधक किये जाने के बाबत
3. सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत धारा 13(4) के नोटिस की प्रति ।
4. माननीय न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के आदेश के अन्तर्गत आदेश 7 प्रार्थना पत्र / 44 /2019 दिनांक 17.12.2019 की प्रति।
5. कार्यालय पुलिस अधिक्षक भरतपुर के आदेश पत्र क्रमांक 4158-61 दिनांक 27.07.2021
6. सरफेसी अधिनियम धारा 34 एवं 17 की फोटो प्रतियाँ ।

प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश नियम 11 जा0 दीवानी के तहत जबाब अप्रार्थीगण /वादीगण द्वारा इस आशय का पेश किया कि जो इस प्रकार है-

1. यह है कि मद सं. 1 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार वर्णित की गई है। स्वीकार नहीं है। दिनांक 11.10.2021 को आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित नहीं किया है।
2. यह है प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 स्वीकार नहीं है। दावा वादीगण के द्वारा अपने पिता के विरुद्ध हक व हकूक को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया हैं।
3. यह है कि मद सं. 3 प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं हैं न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 11.10.2021 को दिया स्थगन आदेश खारिज किया था जिसकी अपील राजस्व आधिकारी भरतपुर को करने पर उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2021 को अपील वादीगण आंशिक स्वीकार करते हुये न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 18.10.2021 को निरस्त कर विवादित आराजी नम्बर 1023/0.22 हैक्टे वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर के रिकॉर्ड एवं मौके की परस्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये है।
4. यह कि मद सं. 4 प्रार्थना पत्र स्वीकार है।
5. यह कि मद सं. 5 प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं हैं वादीगण विवादित आराजी से पैत्रिक होने के आधार पर अपना हक मांगने हेतु दावा प्रस्तुत किया है। तीसरा हक जो प्रतिवादी सं. 1 का रहता है। वही बैंक ऋण वसूली कर सकती है। सम्पूर्ण भूमि को नहीं कर सकती।
6. यह कि मद सं. 4 प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं है। वादीगण बैंक से रिलीफ नहीं चाह रहे है। धारा 34 के प्रावधान के दावे पर लागू नहीं होते है।
7. यह है कि मद संख्या 5 प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं है। धारा 35 के प्रावधान वादीगण पर लागू नहीं होते है।

8. यह कि मद सं. 6 प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं है एवं मद संख्या 8 के क्लॉज (1) लगायत (9) स्वीकार नहीं है क्योंकि विवादित आराजी हिन्दू संयुक्त परिवार की पैत्रिक आराजी से क्य किया गया है। जो प्रतिवादी के नाम खातेदारी में अंकित थी जिस पर वादीगण का जन्म से ही अधिकार हासिल होता है। इसलिए प्रतिवादी के द्वारा बैंक से ऋण लिया है। वह अवैध रूप से लिया है वह अवैध रूप से लिया है। प्रतिवादी केवल अपने हिस्से तक ही बैंक में रहन रख सकता है। इसलिए वादीगण के हिस्से की आराजी को प्रतिवादी को रहन रखने का अधिकार नहीं था। इसलिए वादीगण के द्वारा विवादित आराजी में अपने हिस्से तक दावा प्रस्तुत किया है। वादीगण के हित निर्धारित होने के बाद जो शेष आराजी बचती है और जो हिस्सा प्रतिवादी का रहता है वही बैंक ऋण वसूली कर सकती है। वादीगण बैंक से कोई रिलीफ नहीं चाहते है। वादीगण प्रतिवादीगण से रिलीफ चाहते है। जब तक वादीगण के हित निर्धारित नहीं हो जाते है। तब तक बैंक को वादीगण की पैत्रिक आराजी को कुर्क करने का अधिकार हासिल नहीं है।
9. यह है कि दावा वादीगण द्वारा पैत्रिक आराजी होने के कारण अपने पिता के विरुद्ध संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति होने के कारण पिता के जीवनकाल में मुताबिक कानून प्रस्तुत किया है दावा में जबाब दावा आने पर तनकीयात कायम की जाकर ही खारिज किया जा सकता है। क्योंकि सभी आपत्तियों जबाब दावे में ही ली जा सकती है। बिना जबाब दावा के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी 10 के अन्तर्गत नहीं होने से खारिज योग्य है क्योंकि बैंक ऑफ बडौदा द्वारा अभी जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि सारे कथन जबाब दावे में लिए जाकर तनकीयात कायम की जाकर अगर कोई कानूनी तनकी बनती है। तो उस पर निर्णय लिया जा सकता है बिना जबाब दावा के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 पेश रफत न होने से काबिल खारिजी के है।
10. यह कि बैंक ऑफ बडौदा उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बने है बिना पक्षकार बने प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार हासिल नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 इस स्टेज पर खारिज होने योग्य होने से खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के तहत बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0ए0 के तहत पेश किया जाकर अपने हक व हकूको की खातेदारी की घोषणा चाही गई है। प्रार्थी / वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 पेश की गई जिसमें विवादित आराजी खसरा न-1023 रकवा 022 वाके ग्राम बैलारा पर स्थित है। जिसमें उदयसिंह पुत्र परसादी हिस्सा 1/2 जाति जाट साकिन नदबई खातेदार एवं मैसर्स किसान फूड प्रोसेसिंग उद्योग हिस्सा 197/440 बैलारा खातेदार तथा लखनसिंह पुत्र सूखा राम हिस्सा 23/440 जाति जाट साकिन लखनपुर दर्ज रिकॉर्ड है। जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी से साबित है। लाखनसिंह पुत्र सूखा जाति जाट निवासी लखनपुर द्वारा उक्त आराजी खसरा न-1023 रकवा 022 हैक के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे लाखनसिंह ने उद्योग हेतु भूमि रूपान्तरण आधिकारी

नदबई में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर कार्यालय द्वारा भूमि रूपान्तरण अधिकारी नदबई द्वारा उक्त विवादित भूमि को संपरिवर्तित किया गया संपरिवर्तित आदेश क्रमांक 285 दिनांक 29.05.1998 से खातेदारी अभिधृति में में धारित कृषि भूमि नियम 2007 के नियम 8 (1)(3) के अधीन अकृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् उद्योग हेतु संपरिवर्तित किया गया जिसका अंकन जमाबंदी में मैसर्स किसान फूड प्रोसेसिंग के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत भूमि रूपान्तरण आदेश से साबित है। तथा लाखनसिंह ने महेशचन्द पुत्र मनोहर लाल एवं ओमप्रकाश पुत्र रघुनाथ प्रसाद को विक्रय कर दिया जो विक्रयनामा दिनांक 04.07.2007 को संपादित किया गया जिसकी प्रति भी पेश की गई महेश चन्द पुत्र मनोहर लाल द्वारा एवं ओमप्रकाश ने उक्त जायदाद को उदयसिंह पुत्र परसादी लाल को दिनांक 04.07.2007 को विक्रय कर दिया इस प्रकार से उदयसिंह पुत्र परसादी लाल उक्त जायदाद के स्वामी एवं अधिपात्यधारी हो गये। जो जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकॉर्ड हैं प्रार्थी द्वारा पैत्रिक सम्पत्ति का किसी प्रकार को कोई दस्तावेजात भी पेश नहीं किया गये जिससे साबित होता हो कि उक्त भूमि पैत्रिक सम्पत्ति की आराजी है इस प्रकार प्रश्नगत संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक आराजी न होकर उदयसिंह पुत्र परसादी लाल जाट की निजी सम्पत्ति है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत सम्पत्ति अकृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् उद्योग हेतु संपरिवर्तित हो गई थी। प्रश्नगत भूमि उदयसिंह पुत्र परसादी लाल द्वारा बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक पत्र दिनांक 07.02.2014 को किया गया जो कि बैंक ऑफ बडौदा शाखा एसएफएस मानसरोवर साउथ एण्ड स्ववायर मॉल, रीको कांटा के पास जयपुर से वर्ष 2014 में जरिये ऋण स्वीकृत पत्र दिनांक 29.01.2014 को 85 लाख रुपये बडौदा ट्रेडर्स बाबत ऋण सु विधा प्राप्त की थी उक्त ऋण सुविधा वाबत् उदयसिंह पुत्र परसादी लाल जाट द्वारा गारंटी प्रदान कि गई थी। उक्त ऋण सुविधा के बदले में गारन्टर उदयसिंह पुत्र परसादी लाल जाट द्वारा साम्यिक बंधक बैंक में सृजित कर देने के कारण सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से हस्तारित करने योग्य नहीं है। साथ ही 13(2) बैंक द्वारा नोटिस जारी करने के पश्चात् भी बैंक उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार ऋणी बैंक की पूर्व सहमति प्राप्त कियेबिना प्रतिभूतित किसी भी अस्ति को विक्री लीज व अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने से वंचित है। इसका व्यतिक्रम करने पर ऋणियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। उदयसिंह जाट के पास किसी भी तरह से उक्त सम्पत्ति को हस्तारित करने का अधिकार नहीं है। तथा बैंक द्वारा माननीय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर द्वारा पारित आदेश की पालना में माननीय पुलिस अधिक्षक भरतपुर द्वारा नियुक्त पुलिस अधिकारियों के द्वारा वास्तविक कब्जा प्राप्त कर बैंक को सुपुर्द किये जाने के निर्णय व आदेश भी पारित किये गये हैं। जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजातो से साबित है।

7


इस प्रकार प्रार्थी / वादीगण प्राकृतिक संरक्षण माता श्रीमति धीरज चौधरी पत्नि उदयसिंह जाति जाट निवासी हाल स्टेशन रोड कटरा नदबई द्वारा विवादित आराजीयात की पूर्ण रूप से जानकारी होने पर भी न्यायालय को घुमराह किया जाकर दिनांक 11.10.2021 को एक तरफा में स्थगन आदेश प्राप्त किया गया था। तथा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा एसएफएस मानसरोवर शाखा जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज पेश किये गये जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2021 को एक तरफा में जारी की गई स्थगन आदेश को खारिज किया गया जिसकी अपील अप्रार्थी / वादीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहाँ पेश की गई जिसमें माननीय न्यायालय आर.ए. भरतपुर द्वारा अपील अपीलान्ट आशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2021 निरस्त किये गये तथा विवादित आराजीयात की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने आदेश प्रदान किये गये साथ ही प्रकरण को अधिकतक 30 दिवस में निस्तारण करने आदेश प्रदान किये गये।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा एसएफएस मानसरोवर शाखा जयपुर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से साबित है कि उपरोक्त विवादित आराजीयात खसरा नं० 1023 रकवा 0.22 हैक्ट० वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई पर स्थित है। चूंकि उक्त विवादित आराजीयात बैंक ऑफ बडौदा एस एफ एस मानसरोवर शाखा जयपुर से ऋण प्राप्त कर रहन रखी गई जिसकी गारंटर उदयसिंह पुत्र परसादी लाल जाट द्वारा प्रदान की गई तथा उक्त ऋण सुविधा के बदले में गारंटर उदयसिंह द्वारा साम्यक बंधक बैंक में सृजित कर दी गई जिस पर बैंक द्वारा सरफेसी एक्ट के तहत ऋण चुकता किये जाने हेतु नोटिस भी जारी किये गये एवं प्रश्नगत भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के द्वारा पारित आदेश की पालना में माननीय पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा नियुक्त पुलिस अधिकारियों के द्वारा सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त कर बैंक को सुपुर्द भी किया जा चुका है इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात सरफेसी अधिनियम के प्रावधान अनुसार गारंटर को ऋणी की परिभाषा में माना गया है। तथा बैंक एण्ड फायनेन्सियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 (1993 का 51) के अनुसार उक्त विवादित आराजीयात के संबंध में किसी भी सिविल कोर्ट के पास किसी भी मामले के संबंध में किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसे निर्धारित करने के लिये ऋण वसूली प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण को सरफेसी अधिनियम द्वारा या इसके तहत अधिकार दिया गया है और किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जावेगा। इस प्रकार उक्त विवादित प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्र अधिकार ऋण वसूली प्राधिकरण का है। इस प्रकार प्रार्थी / वादीगण के द्वारा प्रकरण की पूर्ण रूप से जानकारी होने पर भी न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्य पेश कर न्यायालय को गुमराह किया गया तथा प्रार्थी / वादीगण द्वारा पैत्रिक आराजी सम्बन्धी किसी भी प्रकार दस्तावेजात भी पेश नहीं

किये गये । जिससे साबित होता हो कि वादीगण की उक्त पैत्रिक सम्पत्ति है। सरफेसी अधिनियम के तहत प्रावधानों के अनुसार उक्त वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11(d) अधिकार से बाहर वाद प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय अधिकार के पास नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 के तहत स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। तथा वादीगण के खिलाफ 5000/(पाँच हजार रुपये) की कॉस्ट लगाई जाती है। तहसीलदार नदबई को आदेश है कि प्रार्थीगण /वादीगण से कॉस्ट की राशि नियमानुसार रिकवर राजकोष में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को खुले न्यायालय इजलाश में लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फाइल नम्बर होकर दाखिल दफ्तर हो ।



Junaid
मुहम्मद जुनैद (आई.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
कार्यपालक नदबई (भरतपुर) राज.
नदबई (भरतपुर) राज.